बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–06/01/2026

संचिका सं0–3/आ०1–46/2022 I/345389/ श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका के विरूद्ध निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होना एवं अग्रिम सूचना उपलब्ध नहीं कराना, जनता दरबार में प्राप्त मामलों का अनुपालन ससमय नहीं करना, मनमाने तरीके से संचिका का संचालन करना, निलंबित शिक्षकों पर ससमय आरोप पत्र गठित नहीं करना, सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाँका के द्वारा नियम के प्रतिकूल शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, आदेश का लगातार अवहेलना किया जाना एवं पदीय आचरण के विरूद्ध कर्तव्य का निर्वहन करने संबंधी आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या–14 दिनांक 03.01.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री कुमार दिनांक 30.11.2025 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो गये है।

अतएव उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी0) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित समझा जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–3/आ०1–46/2022 I/345389/ पटना, दिनांक–06/01/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/श्री शाहजहाँ, प्रशासी पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका, सम्प्रति–सेवानिवृत, वर्तमान पता–राजबाटी लेन, आदमपुर, पो0–भागलपुर जिला–भागलपुर, पिन नं0–812001/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 06-01-2026 13:36:56
निदेशक (प्रशासन)